



कार्यालय-प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन गौला हल्द्वानी,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग-हल्द्वानी(नैनीताल)।
निकट-आदित्य बैकटहॉल, गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा हल्द्वानी(नैनीताल) e-mail :ukhld@yahoo.in

पत्रांक-

/ निविदा/श्रमिक कल्याण ,

दिनांक-

Cool Water Bottle (Insulated) की आपूर्ति हेतु आमन्त्रित निविदा की शर्तें एवं कार्य विवरण

इस कार्यालय की पत्र संख्या-1341/निविदा/श्रमिक कल्याण , दि०-28-11-2025 द्वारा इच्छुक मूल निर्माताओं / अधिकृत विक्रेताओं व विक्रेताओं से उत्तराखण्ड वन विकास निगम (कु०क्ष०) हल्द्वानी के अन्तर्गत प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक , गौला एवं नन्धौर खनन प्रभागों के अन्तर्गत उपखनिज चुगान कार्यों में लगने वाले श्रमिकों हेतु जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधि से प्राप्त धनराशि से निम्नानुसार **Cool Water Bottle (insulated)** कय की जानी हैं, जिसके लिए निर्धारित निविदा फार्म में दिनांक-**09-12-2025** के अपरान्ह 1.00 बजे तक सील बन्द निविदा पंजीकृत / स्पीड पोस्ट / कोरियर डाक द्वारा आमन्त्रित की जाती हैं , जो उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक(कु०क्ष०) उत्तराखण्ड वन विकास निगम , हल्द्वानी द्वारा गठित समिति / प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारणों से निविदाएँ अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी। निविदा फार्म एवं शर्तें दिनांक-**08-12-2025** तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क रु०-2,000.00 + जी०एस०टी० जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। समस्त निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाईट <http://www.uafdc.in/tenders.html> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। सामग्री का विवरण , निविदा शर्तें निम्नवत् है :-

(क) आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का विवरण एवं लगभग प्रस्तावित मात्रा

क०सं०	सामग्री का नाम	विवरण	अनुमानित आपूर्ति मात्रा	जमानत राशि (रु०)
1.	Cool Water Bottle (Insulated)	2 Ltr. - Milton, Nayasa, Pamline, Cello	5,000 से 8,000 (नग)	75,000.00

नोट:- उपरोक्त अनुमानित दर्शायी गयी मात्रा में कमी/वृद्धि सम्भावित है।

- (ख) निविदा प्रेषण हेतु पता :- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी
निकट-आदित्य बैकट हॉल , गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा , हल्द्वानी
जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)
- (ग) अर्नस्टमनी :- निविदा के साथ नेक जमानत हेतु उपरोक्तानुसार कुल रु०-75,000.00 (पिच्छतर हजार) मात्र की एफ०डी०आर०/ एस०टी०डी०आर०/सी०डी०आर०, जो वाणिज्यिक बैंक से निर्गत जो कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम , खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के पदनाम बंधक हो , संलग्न किया जाना अनिवार्य है। जमानत की एफ०डी०आर०/ एस०टी०डी०आर०/सी०डी०आर० की वैधता अवधि कम से कम 45 दिन होनी अनिवार्य है।
- (घ) कार्य प्रतिभूति धनराशि - सफल निविदादाता को अनुमानित निविदा प्रतिभूति के विरुद्ध धनराशि रु०-2,00,000.00 (दो लाख) कार्य प्रतिभूति (धरोहर) धनराशि जमा करनी होगी। कार्य प्रतिभूति (धरोहर) डिमाण्ड ड्राफ्ट, एफ०डी०आर०/ एस०टी०डी०आर०/सी०डी०आर० जो वाणिज्यिक बैंक से निर्गत प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम , खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के पदनाम बंधक हो, जमा करना अनिवार्य होगा। कार्य प्रतिभूति(धरोहर) की एफ०डी०आर०/ एस०टी०डी०आर०/सी०डी०आर० की वैधता अवधि 60 दिन होनी अनिवार्य है।
- (ड.) निविदा हेतु सामान्य शर्तें :-
1. निविदा सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी।

2. निविदा फार्म में किसी प्रकार का उपरिलेखन (ओवर राईटिंग) एवं कांट-छांट (कटिंग) मान्य नहीं होगी।
3. निविदा फार्म संलग्न है। निविदा निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जानी है।
4. निविदा लिफाफे के ऊपर **“Cool Water Bottle (Insulated) की आपूर्ति हेतु निविदा”** स्पष्ट मोटे अक्षरों में अंकित होना आवश्यक है।
5. निविदा फार्म एवं शर्तें ₹0-2,000.00 + जी0एस0टी0 भुगतान करने पर किसी भी कार्य दिवस में प्रमाणीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
6. निविदा केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा उपरोक्त पते पर इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित समय तक प्राप्त होनी आवश्यक है। किन्तु सामग्री का सैम्पल निविदा खोलने से पूर्व हाथो-हाथ भी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। निविदादाता को प्रस्तुत निविदा फार्म में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता अंकित करना होगा तथा निविदादाता के इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा। भविष्य में पते में बदलाव की स्थिति में वन विकास निगम को निविदादाता द्वारा यथा समय सूचित करना होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब होने पर अथवा सामग्री खराब होने की दशा में निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में किसी विलम्बता/गड़बड़ी के लिए वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं होगा और न ही कोई दावा स्वीकार होगा।
9. निविदा के साथ वांछित प्रमाण पत्रों, आयकर (PAN), जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र आदि जो कि स्वप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है। भविष्य में इन अभिलेखों के मूल पत्रों के अवलोकन हेतु वन विकास निगम द्वारा माँगे जाने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा के साथ जमानत हेतु वांछित धनराशि की एफ0डी0आर0/एस0टी0डी0आर0/सी0डी0आर0 वाणिज्यिक बैंक से निर्गत जो कि **“प्रमाणीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी”** के पदनाम बन्धक हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दी जायेगी।
11. निविदादाता को जमा जमानत व कार्य प्रतिभूति (धरोहर) धनराशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात आवेदन करने पर वापस की जायेगी।
12. प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति आदि की कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा। तदनुसार स्वीकृत दरें सम्बन्धित निविदादाता को मान्य होगी जो प्राप्त निविदा दर से कम / बराबर होगी। प्राप्त स्वीकृत दरों पर कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।
13. उपरोक्त आवश्यकता की मात्रा अनुमानित है। जिसमें कमी / वृद्धि संभावित है। तात्कालिक वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी किया जाएगा। वास्तविक आपूर्ति के अनुसार भुगतान एकाउन्ट पेई (Account Payee)/ बैंक / RTGS द्वारा ही किया जायेगा।
14. निविदा में जी0एस0टी0 का उल्लेख न होने पर निविदा दर जी0एस0टी0 सहित मानी जायेगी। निविदा, निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। हस्ताक्षरकर्ता हेतु कम्पनी/फर्म का अधिकार पत्र भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।
15. समान्यतया गुणवत्ता अनुकूल होने पर निविदा न्यूनतम निविदा मूल्य/कर के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। किन्तु गुणवत्ता के अभाव में न्यूनतम दरों को स्वीकृत करने हेतु विभाग / समिति बाध्य नहीं होगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार वन विकास निगम के पास सुरक्षित होगा।
16. निविदादाता द्वारा, निविदा में सामग्री की दर एवं कर का स्पष्ट एवं अलग-अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अलग से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदादाता की स्वीकृत दरें सम्पूर्ण खनन सत्र 2025-26 के लिये लागू मानी जायेगी। उक्त अवधि में दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी। निविदादाता को भुगतान से पूर्व सम्बन्धित खनन प्रभागों में बिल (Invoice) प्रस्तुत करना होगा। गठित समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जाँच करने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
17. निविदा प्रक्रिया आंशिक या पूर्ण निरस्त /स्थगित होने पर कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।
18. उपरोक्त सामग्री विवरणानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होना आवश्यक है। सामग्री का सैम्पल नमूना भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना नमूने के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

19. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ सामग्री के सैम्पल से आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता व उत्पाद निर्माण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निविदादाता की निविदा जमानत प्रतिभूति व कार्य प्रतिभूति धनराशि जब करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
20. एक समान न्यूनतम निविदा दर होने पर उसे शासकीय संस्थान / संस्था / विभाग में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्य में वरीयता दी जायेगी।
21. सफल निविदादाता को पंजीकृत डाक/हाथों हाथ आपूर्ति आदेश की सूचना यथासमय आवश्यकतानुसार दी जायेगी।
22. निविदा स्वीकृत सूचना के 15 दिन के अन्दर उपरोक्त सामग्री आपूर्ति करनी होगी। विलम्ब /निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति न करने पर विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है तथा जमानत जब कर आपूर्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की निर्धारित तिथि के अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति नहीं की जाती है तो अधोहस्ताक्षरी को अधिकार होगा कि जमानत धनराशि को जब करते हुए नियमानुसार कमशः द्वितीयक एवं तृतीयक निविदादाता से कार्य कराया जायेगा।
23. उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति सफल निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर खनन गौला हल्द्वानी एवं खनन प्रभाग नन्धौर के सम्बन्धित चयनित सूचित स्थल में पहुँचाकर देनी होगी , जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदादाता दूरी व ढुलान आदि समस्त व्ययों को ध्यान में रखकर ही निविदा दें। तदोपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन/आपत्ति / प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।
24. निविदादाता के भुगतान के समय लागू आयकर व जी0एस0टी0 की नियमानुसार स्रोत पर कटौती की जायेगी।
25. निविदादाता द्वारा जारी टैक्स इनवाइस की जी0एस0टी0 रिटर्न निर्धारित समय से फाईल की जायेगी। यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भुगतान की गई जी0एस0टी0 की धनराशि जी0एस0टी0 पोर्टल पर GSTR 2A में प्रदर्शित नहीं हुई, जिस कारण भुगतान की गई जी0एस0टी0 का ITC Claim नहीं मिला तो उसकी वसूली निविदादाता के आगामी भुगतान से कर ली जायेगी अथवा जमा जमानत से की जायेगी।
26. भुगतान में नियमानुसार स्रोत पर आयकर एवं जी0एस0टी0 (टी0डी0एस0) की धनराशि की कटौती की जाएगी। जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।
27. निविदा आंशिक या पूर्ण रूपेण किसी स्तर पर निरस्त / स्थगित होने की दशा में कोई क्लेम / प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।
28. सफल निविदादाता को कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग / अधिकारी / गेट अनुभाग अधिकारी से सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बन्धक धनराशि वापस की जायेगी।
29. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal judicial) हल्द्वानी नैनीताल जनपद में होगा।
30. शर्तों के उल्लंघन की दशा में अर्नस्टमनी जमानत धनराशि जब कर ली जायेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
31. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में 'क्षेत्रीय प्रबन्धक(कुशे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम , हल्द्वानी' आर्बीट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
32. उपरोक्त शर्तों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर शर्त निरस्त करने अथवा संशोधित / परिवर्धित करने एवं नवीन शर्तों को शामिल करने का पूर्णाधिकार प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के पास सुरक्षित रहेगा।
33. उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता पाये जाने अथवा उल्लंघन करने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी रहेगा। जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न- निविदा फार्म

(धीरेश चन्द्र बिष्ट)

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी